सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या एफ.एस.एस.एक्ट 01/2016

बउनवान

श्री राजेश कुमार रामचंदानी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. श्री जगदीश पारेता पुत्र श्री हरिकिशन पारेता उम्र 22 जाति पारेता निवासी गुरूद्वारे के सामने वाली गली कोटा रोड़ बारां। मेसर्स पारेता इन्टरप्राईजेज, गुरूद्वारे के सामने वाली गली कोटा रोड़ बारां
2. श्री धर्मेन्द्र जगरवाल पुत्र श्री मोहनलाल, निवासी 183, कमेला जी के पास हरिजन बस्ती बारां। मेसर्स महरूद बोटलिंग, प्लॉट नं. एच–83, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया बारां (निर्माता)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री राजेश रामचन्दानी खा.सु.अ. (प्रार्थी स्वंय)
2– श्री सुरेन्द्र मीणा एडवोकेट (अप्रार्थीगण की ओर से)

निर्णय दिनांक 28.02.2018

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां द्वारा प्रकरण इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 20.05.2015 को समय 03.15 पी. एम. पर मेसर्स पारेता इन्टरप्राईजेज, गुरूद्वारे के सामने वाली गली कोटा रोड़ बारां पर पहुंचा। वहां पर श्री जगदीश पारेता पुत्र श्री हरिकिशन पारेता विक्रेता की हैसियत से उपस्थित थे कि उपस्थिति में निरीक्षण किया जहां पर आम जनता को विकय हेतु खाद्य पदार्थ **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला) (250 मिली., 50 मिली.)** के 10 कार्टून विकय हेतु रखे हुये थे। विक्रेता को परिचय देकर खाद्य पदार्थ नमकीन **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला)** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु मालिक को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं. 5 ए की प्रति स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली। फार्म नं. 5 ए आवेदन के साथ संलग्न है।

यह कि आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ नमकीन **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला) (250 मिली., 50 मिली.)** के **40 पेक बोतल** वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता को 400/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं स्वंय हस्ताक्षर किये। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने वास्ते नमूना जांच खरीदे हुए खाद्य पदार्थ **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला)** के **40 पेक बोतल** को चार भागों में बराबर–बराबर कर प्रत्येक भाग में **10 पेक बोतल (250 मिली., 50 मिली.)** मेल पेकेट में बन्द किया तथा डी.ओ. के लेबल तैयार कर प्रत्येक डिब्बे पर चिपकाये प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाये तथा स्वंय भी हस्ताक्षर किए। तथा नमूना भागों को नियमानुसार सील्ड किया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर मालिक एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे सही मानकर उन्होने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ नियमानुसार तैयार एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर श्री सूरजमल प्रजापति (चर्तुथ श्रेणी कर्मचारी) कार्या. मुख्य चिकित्सा एवं खाद्य अधिकारी, बारां द्वारा मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने एक नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति के सीलबन्द कर डीओ मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां को जमा कर रसींद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है।

अति० जिला मजिस्ट्रेट
बारां (राज०)

आवेदक को डी.ओ. एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधि. बारां के पत्र कमांक एफएसएसए/2015/246 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट कमांक एल.एस./1189/एक्ट/2015/674 दिनांक 31.07.2015 के अनुसार विकेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विकय किया गया, **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला) का मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया। जांच रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा अप्रार्थी कम 1 द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत जवाब संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप होने के लिये अप्रार्थी कम 2 स्वंय जिम्मेदार है क्योंकि अप्रार्थी कम 1 के यहां पेक माल की सप्लाई अप्रार्थी कम 2 द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से अप्रार्थी कम 1 माल का विकय करता है तथा उसकी छाप वगैरह में अप्रार्थी कम 1 किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। अतः अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष प्रार्थी एवं अभिभाषक अप्रार्थीगण की सुनी । दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला)** का विकय किया जा रहा था, वह जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

इसके विपरीत अभिभाषकगण ने दौराने बहस अप्रार्थी कम 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी कम 1 के यहां पेक माल की सप्लाई अप्रार्थी कम 2 द्वारा की जाती है। उसी प्रकार से अप्रार्थी कम 1 माल का विकय करता है तथा उसकी छाप वगैरह में अप्रार्थी कम 1 किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है। अतः अप्रार्थी कम 1 के विरूद्ध कार्यवाही निरस्त फरमावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, अप्रार्थी के पास से वास्ते नमूना जांच लिया गया, खाद्य पदार्थ **स्वीटण्ड कार्बोनेटेड बेवरेज (रियल धूम कोला)** जॉच मे **मिथ्याछाप (Mis Branded)** होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (।।) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी मे आता है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत, अप्रार्थी कम 1 को कुल 5,000/- अक्षरे पांच हजार रूपये तथा अप्रार्थी कम 2 को कुल 10000/- महायोग 15000/- के आर्थिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त राशि जर्ये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवा कर चालान प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2018 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वासुदेव मालावत)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, बारां (राज.)